

11/08/25

बकुलाय पधकासन तपरिधत / पीठासीन
अधिकारी अनुराधक/मि
होने से प्रकरण दिनांक 29/09/25
को पेश हा।

आज्ञा से

6

रीडर

19.8.25

पत्रावली पेश है वादीगण/वादीगण वाशि की तरफ से

पत्रावली तलबी का प्रा.पत्र पेश किया जाने पर सिगाहले
तलब होकर पेश हुई। प्राप्ति संख्या 1/2 स्वयं तथा उनडे
अधिकारता उपस्थित। अधिकारता द्वारा बुधन किया गया कि
वादी चैनराम की मृत्यु 21.6.21 के होकर दिनांक 24.8.21
को प्रा.पत्र वास्ते वाशिान कायमी पेश किया गया परन्तु
उक्त प्रा.पत्र स्वीकार कर बाद विद्वो करने की अनुमति
प्रदान करवें।

पत्रावली का अश्लोकन किया गया। वादी अधिकारता
द्वारा पूर्व में प्रा.पत्र 022 R 3 पेश किया तथा वाशिान का
वकालतनामा पेश किया गया। आयदिते में प्रा.पत्र 022 R 3 की
किया जाकर वाशिान एवं संशोधित अनगन रिपोर्ट पर
लिया जाता है तथा वादी वाशिान द्वारा बाद में कार्यवाही

उप खण्ड
मिर्का, जिला-उ

नहीं चाही जाकर वाड विद्रो करना चाहेते हैं।
वाडी बाधि ॥२॥ स्मयें द्वारा उपस्थित होय वाड विद्रो
करने का कुधन किया जिसे वाडी अधि. द्वारा पन्नाग
गया। शेष वाडी बाधि ॥१॥ ॥३॥ ॥५॥ की तरफ से अधि.
द्वारा वाड विद्रो करने का कुधन किया गया। वाडी गण

का प्र.प. वाड विद्रो करने का स्वीकार किया जागा है।
अतः वाडी द्वारा वाड विद्रो किए जाने से इतीतर
पर निश्चयित किया जागा है। निर्णय सेरे इजलास के
गया। प्रकरण फेसल मुफा होकर नगर से कम हो।

(स. साँदे हल)

IAS
उप खण्ड अधिकारी
मिर्क, जिला-रायपुर (राज्य)